

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक विद्या/विद्या/सी.सी.ई./आरएसएम/2018/1834-

भोपाल, दिनांक-02-06-2018


संशोधित - आदेश

संचालनालय के आदेश क्रमांक विद्या/विद्या/सी.सी.ई./आरएसएम/2018/1780-81 भोपाल दिनांक 31.05.2018 को निरस्त करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है :-


वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना क्रमांक 6019 वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि योजना अंतर्गत कुल राशि रु. 7.20 करोड़ प्रावधानित है। प्रथम 6 माह हेतु प्रावधानित बजट राशि में से 45 प्रतिशत राशि रु. 3.24 करोड़ एवं प्रतिमाह 10 प्रतिशत के मान से माह अप्रैल एवं मई माह हेतु रु. 72 लाख प्रतिमाह के मान से 2 माहों की व्यय सीमा में सह शैक्षिक क्षेत्र एवं सह पाठ्यक्रम कार्यकलाप की गतिविधियों के संचालन हेतु प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के 224 विकासखण्ड के प्रत्येक हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय से 3 (1 प्राचार्य, 2 व्याख्याता) के मान से 19110 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है। प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के लिये स्टेशनरी, प्रोजेक्टर, माइक एवं अन्य व्यवस्था तथा प्रति शिक्षक स्वल्पाहार / भोजन पर 200 रु प्रतिदिन के मान से 03 दिवस के प्रशिक्षण हेतु 600 रु प्रति शिक्षक की दर से व्यय हेतु 45 जिला शिक्षा अधिकारियों को राशि रु. 11466000/- का आवंटन जारी कर आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिलेवार विद्यालयों की संख्या के मान से कुल प्रशिक्षित किये जाने वाले शिक्षकों का संख्यात्मक विवरण एवं आवंटित की जाने वाली राशि का निम्नानुसार है :-

स.क्र	जिला	वि०ख स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय को छोड़कर जिले में संचालित शासकीय हाई-हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या	विद्यालयों की संख्या अनुसार प्रत्येक विद्यालय से 03 के मान से कुल प्रशिक्षणार्थियों	200 रु प्रतिदिन के मान से 03 दिवस के प्रशिक्षण हेतु 600 रु प्रति शिक्षक की दर से कुल आवंटित राशि	डी०डी०ओ० कोड
1	2	3	4	5	
1	आगर-मालवा	57	171	102600	5102003001
2	अशोकनगर	87	261	156600	4702003011
3	बालाघाट	168	504	302400	102003001
4	बैतूल	136	408	244800	302003001
5	भिण्ड	157	471	282600	402003053
6	भोपाल	116	348	208800	522003001
7	बुरहानपुर	55	165	99000	4802003012
8	छतरपुर	182	546	327600	602003001
9	छिंदवाड़ा	276	828	496800	702003001
10	दमोह	147	441	264600	802003001
11	दतिया	111	333	199800	902003001
12	देवास	159	477	286200	1002003001
13	धार	26	78	46800	1102003002
14	गुना	115	345	207000	1302003001
15	ग्वालियर	123	369	221400	1402003001
16	हरदा	75	225	135000	1502003001



17	होशंगाबाद	122	366	219600	1602003002
18	इंदौर	152	456	273600	1712003001
19	जबलपुर	180	540	324000	1802003091
20	कटनी	154	462	277200	2002003056
21	खण्डवा	120	360	216000	2102003052
22	खरगौन	65	195	117000	2202003035
23	मंदसौर	152	456	273600	2402003001
24	मुरैना	158	474	284400	2502003083
25	नरसिंहपुर	153	459	275400	2602003003
26	नीमच	108	324	194400	2702003045
27	पन्ना	119	357	214200	2802003001
28	रायसेन	165	495	297000	2902003001
29	राजगढ़	197	591	354600	3002003001
30	रतलाम	144	432	259200	3102003001
31	रीवा	238	714	428400	3202003002
32	सागर	272	816	489600	3302003002
33	सतना	261	783	469800	3402003110
34	सीहोर	207	621	372600	3502003001
35	सिवनी	90	270	162000	3602003001
36	शहडोल	31	93	55800	3702003001
37	शाजापुर	102	306	183600	3802003001
38	श्यापुर	48	144	86400	4002003008
39	शिवपुरी	198	594	356400	3902003045
40	सीधी	163	489	293400	4102003001
41	सिंगरोली	132	396	237600	5002003002
42	टीकमगढ़	187	561	336600	4202003001
43	उज्जैन	178	534	320400	4302003046
44	उमरिया	98	294	176400	4402003019
45	विदिशा	186	558	334800	4502003001
	योग	6370	19110	11466000/- (रूपये एक करोड़, चौदह लाख, छियासठ हजार मात्र)	



उपरोक्तानुसार आवंटित की जाने वाली राशि माँग संख्या 40- 2202, 80-002-6019-0101-42-007 के अंतर्गत विकलनीय होगी । राशि के व्यय हेतु समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय औपचारिकताएँ पूर्ण कर राशि का आहरण उक्त दिनांक से पूर्व सुनिश्चित किया जाये । यदि राशि व्ययगत होती है, तो इसके लिये जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

यह प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिनांक 10 जून 2018 से 30 जून 2018 के मध्य जिला स्तर अथवा आवश्यकता अनुसार कुछ ब्लॉक के समूह बनाकर विकासखण्ड स्तर पर किए जाएं। स्रोत व्यक्तियों को आर.एम.एस.ए. की दरों से प्रशिक्षण मानदेय भी प्रदाय किया जाए। प्रशिक्षण के प्रारंभ में प्रत्येक विद्यालय हेतु सी.सी.ई. संदर्शिका की एक छायाप्रति उपलब्ध कराई जाए। संचालनालय स्तर से प्रशिक्षण हेतु लघु फिल्म एवं पावर पाइंट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए जायेंगे।

(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक विद्या/विद्या/सी.सी.ई./आरएसएम/2018/1835- भोपाल, दिनांक-02-06-2018 A
प्रतिलिपि :-

- 1/ प्रधान महामहालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
- 2/ सहायक संचालक (बजट) स्थानीय लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर आवंटित राशि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के सर्वर में फीड करने हेतु
- 3/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
- 4/ समस्त संबंधित कोषालय अधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 5/ समस्त संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण उपरांत व्यय राशि 30 सितम्बर 2018 के पूर्व आहरित करें एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश A